

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2024

जयपुर, दिनांक :

**आदेश**

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस. बी. सिविल रिट पीटीशन न. 14393/2024 में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन डॉ. दिनेश वैष्णव को जिला चिकित्सालय, चित्तौडगढ के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

साथ ही डॉ. दिनेश वैष्णव, प्रमुख विशेषज्ञ (सर्जरी) को अग्रिम आदेशों तक सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 3 के अन्तर्गत जिला चिकित्सालय, चित्तौडगढ के कार्यालय की आहरण एवं वितरण अधिकारी की शक्तियां एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(निशा मीना)

संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं  
स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग एवं पंचायती  
राज (चिकित्सा) विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. जिला कलक्टर, चित्तौडगढ
4. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस. बी. सिविल रिट पीटीशन न. 14393/2024 में पारित आदेश दिनांक 02.09.2024 तथा 04.09.2024 को शीघ्र वैकेट कराये जाने की कार्यवाही करावे।
5. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन राज
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
7. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, राज.
8. कोषाधिकारी, चित्तौडगढ
9. संबंधित अधिकारी
10. कम्प्यूटर सेल

संयुक्त शासन राक्षित

RajKaj Ref  
11092854



Signature valid

Digitally signed by Nisha Mecna  
Designation: Joint Secretary To  
Government  
Date: 2024.10.14 18:41:57 IST  
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई/चि0अ0/डी-382/2024/7

दिनांक : 7.1.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग राज0 जयपुर को उनके पत्रांक प.1(01)चिस्वा/2/2024 जयपुर दिनांक 14.10.2024
2. जिला कलक्टर, चित्तोडगढ ।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन उदयपुर ।
4. कोषाधिकारी, चित्तोडगढ ।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तोडगढ ।
6. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय चित्तोडगढ ।
7. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी एटी/डीपीसी (राजपत्रित) अनुभाग मुख्यालय ।
8. प्रमारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करे ।
9. डा0 दिनेश वैष्णव, प्रमुख विशेषज्ञ (सर्जरी) को वास्ते पालनार्थ ।
10. निजी/रक्षित पत्रावली ।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर

Document certified by RAVI PRAKASH SHARMA <dydravisharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Ravi  
Prakash Sharma  
Designation: Additional Director  
Date :22-10-2024 12:25:15